


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1220]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2016/वैशाख 28, 1938

No. 1220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2016/VAISAKHA 28, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

का.आ.1795 (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 मई, 2016 की तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (29) के खंड (iv), धारा 435 से धारा 438 (दोनों धाराओं को सम्मिलित करके) और धारा 440 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है।

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-1 (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016

S.O.1795 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 18th day of May, 2016 as the date on which the provisions of clause (iv) of sub-section (29) of section 2, sections 435 to 438 (both sections inclusive) and section 440 of the said Act shall come into force.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.